न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
53 / 2018 / प्रा.पत्र / 2018	13.09.2018	17.02..2022

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री मुरारी केशरी पुत्र स्व0 श्री मोहन केशरी एफ.बी.ओ मैसर्स उज्जवला आईस फैक्ट्री मिस्त्री गली अजमेर रोड मालपुरा जिला टोंक निवासी वार्ड नं0 20 पोस्ट हरिनगर पुलिस थाना रामनगर जिला पश्चिम–चम्पारन बिहार हाल निवासी केयर ऑफ जगदीश चौधरी ग्राम चौसला तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0
2– मैसर्स उज्जवला आईस फैक्ट्री मिस्त्री गली अजमेर रोड मालपुरा जिला टोंक

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–श्री शुजाअत हुसैन,अभिभाषक,अप्रार्थीगण उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 17.02.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.05.2018 को समय 03.12 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स उज्जवला आईस फैक्ट्री मिस्त्री गली अजमेर रोड मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचां। विकेता की हैसियत से श्री मुरारी केशरी पुत्र स्व0 श्री मोहन केशरी एफ.बी.ओ मैसर्स उज्जवला आईस फैक्ट्री मिस्त्री गली अजमेर रोड मालपुरा जिला टोंक निवासी वार्ड नं0 20 पोस्ट हरिनगर पुलिस थाना रामनगर जिला पश्चिम–चम्पारन बिहार हाल निवासी केयर ऑफ जगदीश चौधरी ग्राम चौसला तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया पूछने पर प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. होना स्वीकार किया एवं मौ[illegible] जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.02 16:14:46 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने [illegible] विक्रय हे[illegible] मे **कुल्फी दूध खोपरा पावडर चीनी निर्मित** (Kulfi M[illegible] Coconut Pow[illegible]ugar Based) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, विकेता श्री मुरारी केशरी को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

की रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता मुरारी केशरी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे डीप फीजर मे लगभग 20 किलोग्राम **कुल्फी दूध खोपरा पावडर चीनी निर्मित (Kulfi Milk Coconut Powder Sugar Based)** रखे हुये मे से 1200 ग्राम एक स्टील के जग मे बॉट मापक से तुलवाकर कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विकेता, श्री मुरारी केशरी को रू0 60/–अक्षरे साठ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **कुल्फी दूध खोपरा पावडर चीनी निर्मित (Kulfi Milk Coconut Powder Sugar Based)** खरीदशुद्दा 1200 ग्राम को 300–300 ग्राम के बराबर–बराबर (एक भाग 300 ग्राम) अलग–अलग चार साफ व सूखी कांच की शिशियो मे अलग–अलग भरकर बतोर परिरक्षित 40 प्रतिशत वाली फार्मेलिन की 24–24 बून्दे प्रत्येक शिशी मे डालकर अच्छी तरह हिला–मिलाकर ढक्कन को एयर टाईट बंद कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–1903 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विकेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1903 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता. मुरारी केशरी के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर करखाद्य विश्लेषक खा0 सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2018/1559 दिनांक 01.06.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खा0 सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/261/एक्ट/2017/267 दिनांक 08.[illegible] एवं निदेशक, रेफरल फूड लेब मैसूर अंतिम जांच रिपोर्ट दिनांक 06.08.2018 अनुसार मुरारी केशरी से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **कुल्फी दूध खोपरा पावडर चीनी निर्मित (Kulfi Milk Coconut Powder Sugar Based)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.02 15:14:46 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा अवमानक (Sub-Standard) स्तर का कुल्फी दूध खोपरा पावडर चीनी निर्मित (Kulfi Milk Coconut Powder Sugar Based) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत ना कर बहस हेतु निवेदन किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **कुल्फी दूध खोपरा पावडर चीनी निर्मित** (Kulfi Milk Coconut Powder Sugar Based)का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **कुल्फी दूध खोपरा पावडर चीनी निर्मित** (Kulfi Milk Coconut Powder Sugar Based) का नमूना जांच में **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री मुरारी केशरी पुत्र स्व0 श्री मोहन केशरी एफ.बी.ओ मैसर्स उज्जवला आईस फैक्ट्री मिस्त्री गली अजमेर रोड मालपुरा जिला टोंक निवासी वार्ड नं0 20 पोस्ट हरिनगर पुलिस थाना रामनगर जिला पश्चिम–चम्पारन बिहार हाल निवासी केयर ऑफ जगदीश चौधरी ग्राम चौसला तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0 पर शास्ति 25,000 (अक्षरे पच्चीस हजार हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 17.02.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

17.2.2022

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.02 15:14:46 IST
Reason: SelfAttested